

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1. औद्योगिक संस्था का नाम
(जहाँ के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।)
2. व्यवसाय/विषय का नाम
प्रति,

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज़ फोटो

नोडल अधिकारी/प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार
जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम :—
2. पिता/पति का नाम :—
3. माता का नाम :—
4. जन्मतिथि (अंको में) :— ..
(शब्दो में)
5. अ) पत्राचार का पता :— ..
.....
- ब) दूरभाष/मोबाईल नम्बर :— 1.
6. स्थायी पता:—
7. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता:—

| क्र. | परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण वर्ष | बोर्ड/ विवि का नाम | व्यवसाय/विषय | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिपादित |
|------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------|------------|------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

- टीप :— 1 योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।
 2 प्रत्येक व्यवसाय/विषय के लिए पृथक—पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे।
 3 छत्तीसगढ़ का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।
 4 यदि अभ्यर्थी का किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
 5 उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, एवं मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

शपथ पत्र

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित /लागू मानदेय प्राप्त करुंगा/करुंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही है। यदि जानकारी अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो किये गये समर्त कार्यवाही के लिए मैं ख्यां जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण आवश्यकतानुसार या अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र के लिए रहेगा तथा मैं कभी नियमित/संविदा पद हेतु दावा नहीं करुंगा/करुंगी।
4. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने पर मेरी सेवाएँ (मेहमान प्रवक्ता) स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
5. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करुंगा/करुंगी। कोई अनुशासनहीनता/गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेंगे।
6. मेरा/मेरी एक से अधिक संस्था /व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था /व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाने के उपरांत दूसरे संस्था /व्यवसाय/विषय के लिए चयन स्वयंसेव निरस्त हो जायेगा।

संलग्न :—

1 2

3.

2

4

5

6

दिनांक
.

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :—

पता :—

मो. नं